

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज

आदेश

सुश्री विभा, सिविल जज, (अवर खण्ड), त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), महाराजगंज द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि माह मार्च 2026 में उनकी ड्यूटी है, परन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रार्थनी दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 04.03.2026 तक रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। दिनांक 01.03.2026 से दिनांक 04.03.2026 की रिमाण्ड पुर्ननिर्धारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में उक्त तिथियों का रिमाण्ड कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जायेगा-

दिनांक	रिमाण्ड कार्य सम्पादित करने हेतु नामित न्यायिक अधिकारी
दिनांक 01.03.2026 से 04.03.2026	मुकेश यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।

शेष अवकाश दिवस के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती रिमाण्ड सम्बन्धी आदेश प्रभावी रहेगा।

दिनांक: 26.02.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01-माननीय जनपद न्यायाधीश, महाराजगंज को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02-पुलिस अधीक्षक महाराजगंज।
- 03- सुश्री विभा, सिविल जज, (अवर खण्ड), त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), महाराजगंज
- 04-बार एशोसिएशन, महाराजगंज।
- 05-बार एशोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 06-बार एशोसिएशन, निचलौल, महाराजगंज
- 07-बार एशोसिएशन, नौतनवां, महाराजगंज।
- 08-संयुक्त निदेशक, अभियोजन महाराजगंज।
- 09-जिले के सम्पूर्ण थाने को।
- 10-गार्ड फाईल।
- 11-सिस्टम ऑफिसर/आई0सी0टी0 स्टाफ जिला न्यायालय महाराजगंज।

दिनांक: 26.02.2026

(मुकेश यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महाराजगंज